



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2084]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939

No. 2084]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

का. जा. 2364(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य में कि.मी. 1/400 से कि.मी. 5/900 राष्ट्रीय राजमार्ग 548 C का भाग कि.मी तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेने का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप विभागीय अधिकारी, सातारा, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और संक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किमी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हाराष्ट्र राज्य के सातारा में (कि.मी. 5/900 से कि.मी. 25/000) राष्ट्रीय राजमार्ग 548 C का भाग) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / गट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सातारा	कोरेगाव	त्रिपुती	6	निजी	शुष्क+नम	271.00
2				112	निजी	शुष्क+नम	125.00
				कुल		396.00	
3	सातारा	कोरेगाव	ल्हासुर्णी	628	निजी	नम	169.00
4				538	निजी	नम	28.00
5				537	निजी	नम	25.00
				कुल		222.00	
6	सातारा	कोरगाँव	चिमणगाव	1243	निजी	शुष्क+नम	838.00
7				1269	निजी	शुष्क+नम	50.00
8				1287	निजी	शुष्क+नम	649.00
9				1722	निजी	शुष्क+नम	258.00
10				1723	निजी	शुष्क+नम	124.00
11				1705	निजी	शुष्क+नम	3708.00
				कुल		5627.00	
12	सातारा	कोरगाँव	रामोशीवाडी	176	निजी	नम	7016.00
13				23	निजी	नम	2571.00
14				25	निजी	नम	260.00
15				26	निजी	नम	500.00
16				27	निजी	शुष्क+नम	820.00
17				30	निजी	शुष्क	162.00
18				22	निजी	शुष्क	333.00
				कुल		11662.00	
	कुल योग						17907.00

[फा. सं. 12037/1/2017- एमएच (पी-6)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

S.O. 2365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the Public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (Widening/two-laning/Four laning etc.), maintenance, management and operation of the Maharashtra State

way from Satara to Mhaswad from Km. 5/900 to Km. 25/000 of NH 548C in the district of Satara in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land;

any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under the sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Sub Divisional Officer (SDO), Koregaon, in the writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any. As the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of the land from Km. 5/900 to Km. 25/000 of NH 548C) in the State of Maharashtra.

Serial No	Name of the district	Name of the Taluk	Name of the village	Survey No	Type of land	Nature of land	Area in Square meters
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Satara	Koregaon	Triputi	6	Private	Dry+Wet	271.00
2				112	Private	Dry+Wet	125.00
				Total			396.00
3	Satara	Koregaon	Lahsume	628	Private	Wet	169.00
4				538	Private	Wet	28.00
5				537	Private	Wet	25.00
	Total			222.00			
6	Satara	Koregaon	Chimangaon	1243	Private	Dry+Wet	838.00
7				1269	Private	Dry+Wet	50.00
8				1287	Private	Dry+Wet	649.00
9				1722	Private	Dry+Wet	258.00
10				1723	Private	Dry+Wet	124.00
11				1705	Private	Dry+Wet	3708.00
	Total			5627.00			
12	Satara	Koregaon	Ramoshiwadi	176	Private	Wet	7016.00
13				23	Private	Wet	2571.00
14				25	Private	Wet	260.00
15				26	Private	Wet	500.00
16				27	Private	Dry+Wet	820.00
17				30	Private	Dry	162.00
18				22	Private	Dry	333.00
	Total			11662.00			
Grand Total							17907.00

[F. No. 12037/1/2017-MAH(P-6)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.